राजस्थान सरकार

उद्यान आयुक्तालय, राजस्थान, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकःप.4 (3)नि.उ./रा.यो./पौ.सं.र./2020–21/ 3914-3934 दिनांकः 09.06.2020

उप निदेशक उद्यान, कोटा/जोधपुर/जयपुर
सहायक निदेशक उद्यान,
बांरा/झालावाड़/करौली/टोंक/जालौर/स.माधोपुर/पाली/अलवर/बूंदी/बांसवाडा/प्रतापगढ/

विषयः– राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 अन्तर्गत विभिन्न कृषक वर्गो को पौध संरक्षण उपचार हेतु अनुदान देने बाबत दिशा–निर्देश एवं लक्ष्यों का आवंटन ।

राज्य योजनान्तर्ग वित्तीय वर्ष 2020–21 अन्तर्गत विभिन्न कृषक वर्गो को उद्यानिकी फसलों यथा फल, फूल, सब्जी, मसाला तथा सुगन्धित/औषधीय आदि फसलों में कीट/रोग की रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु पौध संरक्षण उपचार अपनाने के लिए कीटनाशी रसायनों की कीमत पर अनुदान देने बाबत दिशा–निर्देश परिशिष्ठ–1 तथा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण परिशिष्ठ–2 के अनुसार भिजवाया जा रहा है। मासिक प्रगति, श्रेणीवार लाभान्वित कृषको की संख्या आगामी माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवायें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

(वी. सरवन कुमार) IAS
आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःप.4 (3)नि.उ./रा.यो./पौ.सं.र./2019–20/ 3914-3934 दिनांकः 09.06.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक उद्यान संभाग कोटा, जयपुर, जौधपुर
2. मुख्य लेखाधिकारी उद्यान, जयपुर को भेजकर लेख है कि वित्तीय लक्ष्य अनुसार जिलों को बजट राशि का आवंटन करने का श्रम करें।
3. उप निदेशक उद्यान सांख्यिकी उधान निदेशालय, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, राजफैड जयपुर को भेजकर निवेदन है कि जिलों में आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के मध्येनजर पौध संरक्षण रसायनों की आपूर्ति आप द्वारा मनोनीत विभिन्न ग्राम सेवा सरकारी समितियो एवं क्रय–विक्रय सहकारी समितियों में कराने की व्यवस्था करावें ।

आयुक्त उद्यानिकी
राजस्थान, जयपुर

र

Scanned with CamScanner

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में पौध संरक्षण उपचार हेतु कीटनाशी रसायनों पर देय अनुदान हेतु दिशा–निर्देश

1. उद्यानिकी फसलों यथा फल, फूल, मसाला, सब्जी तथा सुगन्धित/औषधीय फसलों आदि में आवश्यक रूप से समन्वित कीट/व्याधि प्रबंधन (IPM) अपनाया जावें तथा कीट/व्याधि का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर (ETL) से ज्यादा होने पर ही पौध संरक्षण रसायनों का उपयोग किया जावें।
2. राज्य योजना अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों में कीट/रोग की रोकथाम (Prophylactic) एवं नियत्रंण हेतु कृषकों द्वारा विभागीय सिफारिशानुसार पौध संरक्षण उपचार अपनाने हेतु कीटनाशी रसायनों की कीमत पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 500/– प्रति हैक्टेयर की दर से, जो भी कम हो, का अनुदान देय होगा।
3. पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान की कार्यवाही कृषि विभाग के निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावेगी।
4. आपूर्ति किये गये पौध संरक्षण रसायनों के प्रत्येक बेच के नमूने अधिकृत कीटनाशी निरीक्षक द्वारा आहरित किये जायेंगे। नमूने के मानक पाये जाने के बाद ही अनुदान राशि के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
5. राष्ट्रीय स्तर पर फल एवं सब्जियों के नमूनों में प्रतिबंधित रसायनों के अवशेष मिले है तथा कुछ पौध संरक्षण रसायनों की मात्रा मानक मात्रा से ज्यादा पाई गई है। अतः कृषक प्रशिक्षण/गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से समावेश किया जावें।
   - उद्यानिकी फसलों में समन्वित कीट/व्याधि प्रबंधन(IPM)।
   - आर्थिक क्षति स्तर (Economic Threshold Level)।
   - पौध संरक्षण रसायनों की निर्धारित मात्रा।
   - पौध संरक्षण रसायनों का सुरक्षित उपयोग।
   - छिड़काव उपरान्त फल सब्जी तोड़ने से पूर्व उचित समयावधि।
   - प्रतिबंधित रसायनों की जानकारी।
6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मदों की राशि का शत–प्रतिशत व्यय किया जावें। संबल ग्रामों को प्राथमिकता देवें ।
7. उद्यानिकी फसलों में कीट/रोग का फसल पर प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से अधिक होने की अवस्था में निदेशालय को तत्काल सूचित करवाये तथा क्षेत्र का भ्रमण विषय विशेषज्ञ एवं जिला अधिकारियों द्वारा गठित टीम के द्वारा करवाया जाकर रिपोर्ट निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
8. अनुदान केवल लघु एवं सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी.पी.एल. तथा महिला कृषकों को ही देय होगा। इन कृषक वर्गों में बी.पी.एल. एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जावेगा तथा आवंटित लक्ष्यों (भौतिक एवं वित्तीय) में से 30 प्रतिशत महिला कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।
9. जिला अधिकारी स्वयं किसी भी सहकारी संस्था से कीटनाशी रसायन की आपूर्ति न लेवें और न ही उसे सीधे ही कृषकों को अनुदान पर वितरित करे।
10. अनुदान का लाभ कृषकों द्वारा केवल क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस्/पैक्स के माध्यम से कीटनाशी रसायन क्रय करने पर ही नियमानुसार देय होगा।
11. क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस्/पैक्स द्वारा अनुदान राशि के क्लेम्स (क्रय बिल, कृषक सूची मय प्रार्थना–पत्रों) तैयार कर भुगतान हेतु सम्बंधित सहायक निदेशक उद्यान/कृषि अधिकारी उद्यान, कार्यालय को प्रस्तुत करेगें। जिसका नियमानुसार भुगतान सम्बधित कार्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत सम्बधित समिति को किया जावेगा।

(वी. सरवन कुमार) IAS
आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–2

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में पौध संरक्षण उपचार हेतु कीटनाशी रसायनों के जिलेवार भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्य–

(इकाई भौतिक है० में एवं वित्तीय राशि लाख रूपयों में)

क. स.	जिला	सामान्य (लघु एवं सीमान्त /बी.पी.एल/महिला) 2401-00-119-(31)-(00)		अनु.जाति 2401-00-789-(02)-(09)		अनु. जन जाति 2401-00-796-(51)-(08)		योग	
		भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय
1	कोटा	280	1.400	120	0.600	10	0.050	410	2.050
2	बारां	200	1.000	30	0.150	140	0.700	370	1.850
3	झालावाड	500	2.500	200	1.000	80	0.400	780	3.900
4	करौली	50	0.250	8	0.040	7	0.035	65	0.325
5	टोंक	400	2.000	30	0.150	10	0.050	440	2.200
6	जोधपुर	266	1.330	20	0.100	10	0.050	296	1.480
7	जयपुर	50	0.250	10	0.050	8	0.040	68	0.340
8	जालोर	50	0.250	10	0.050	8	0.040	68	0.340
9	स. माधोपुर	80	0.400	17	0.085	9	0.045	106	0.530
10	पाली	50	0.250	19	0.095	8	0.040	77	0.385
11	अलवर	40	0.200	10	0.050	10	0.050	60	0.300
12	बूंदी	100	0.500	20	0.100	20	0.100	140	0.700
13	बांसवाड़ा	40	0.200	10	0.050	10	0.050	60	0.300
14	प्रतापगढ	40	0.200	10	0.050	10	0.050	60	0.300
योग		2146	10.73	514	2.570	340	1.700	3000	15.000

वी. सरवन कुमार) IAS
आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner